

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या- 15/3-32/16

/स्वा0

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
बिहार राज्य होमियोपैथिक संघ,
बिड़ला मंदिर रोड, सब्जीबाग, पटना-4

पटना, दिनांक- /..... /2016

विषय:- औषधि एवं अंगराग नियमावली, 1945 के नियम- 106B का अनुपालन के संबंध में।
महाषय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 के नियम- 106 B के तहत 12%v/v से ज्यादा अल्कोहल (Ethyl Alcohol) जनित होमियोपैथिक औषधियों का 30ml मात्रा से ज्यादा पैकिंग करना तथा पैकिंग कर बेचना पूर्णतः निषेध है। होमियोपैथिक डिस्पेंसरी (औषधालय) तथा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपयोग के लिए 100 ml की मात्रा तक पैकिंग किया जा सकता है।

अतः बिहार देशी शराब बंदी नीति, 2016 को पूर्णतः सफल बनाने हेतु उपर्युक्त अल्कोहल जनित होमियोपैथिक औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियमावली, 1945 के नियम- 106 B का जनहित में पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

393(15)

पटना, दिनांक-

27/3/16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी अनुज्ञापन प्राधिकारी /सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी होमियोपैथिक निर्माता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सम्पादक, दैनिक सामाचार पत्र, हिन्दुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, आज तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों से अनुरोध है कि उक्त तथ्य का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

27/3/16

प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।